न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0 131/22	तारीख दायरा 07.09.2022	तारीख फैसला 21.12.2022

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

मन्नु बाई पुत्री रामकरण, पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी रतनपुरा बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा हाल खपूरिया तह0 मांगरोल

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बडोद तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते नम्बर 319 रकबा 1.64 है0, 330 रकबा 1.34 है0, 943/1396 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 रकबा 3.12 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि वादनी का नाम मन्नू बाई है वादनी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में वादनी का नाम मन्नू बाई अंकित है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मन्नू बाई के स्थान पर मन्नी बाई दर्ज कर रखा है। उक्त भूमि वादनी के पिता रामकरण की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादनी का 1/8 हिस्सा दर्ज है। इस कारण वादनी को खाद बीज व ऋण लेने में परेशानी हो रही है। यह कि उक्त कारण से उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मन्नी बाई के स्थान पर मन्नू बाई दर्ज किया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 01.09.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया । जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम बडोद तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते नम्बर 319 रकबा 1.64 है0, 330 रकबा 1.34 है0, 943/1396 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 रकबा 3.12 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मन्नी बाई के स्थान पर मन्नू

बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का मन्नी बाई के स्थान पर मन्नू बाई दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडोद तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते नम्बर 319 रकबा 1.64 है0, 330 रकबा 1.34 है0, 943/1396 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 रकबा 3.12 है0 भूमि में वादनी का नाम मन्नी बाई के स्थान पर मन्नी बाई उर्फ मन्नू बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner